न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र.- /2015/निगरानी नि./3133/I/15

आवेदक - सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रघुवंशी उम्र 46 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम पहाडा तहसील शाढोरा जिला अशोक नगर

बनाम

अनावेदक - मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोक नगर

निंगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध ओदश दिनांक 03/07/2015 एवं कारण बताओ सूचना पत्र क्र/अ–68/2014–2015/दिनांक 03/07/2015 न्यायालय तहसीलदार तहसील शाढोरा के प्रकरण क्रमांक 200/अ–68/2014–2015

S.L. Dhakad Adv 16/9/15

–2

माननीय न्यायालय,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1– यहकि आवेदक के स्वयं एवं स्वामित्व के भूमि सर्वे क्रमांक 409 एवं 430 ग्राम पहाडा में स्थित है जिसके पास ही सर्वे न. 409 से लगाा हुआ सर्वे न. 410 है जिसका खसरा एवं नक्शा पृथक से सलंग्न है।

2– यहकि उपरोक्त विवादित सर्वे न. आवेदक के पिता स्व. लक्ष्मण सिंह को बतौर बटवारा लगभग 30 वर्ष पूर्व प्राप्त हुये जिसका पर भूमि सर्वे न. 410 के मिन रकवा 0.400 हैक्टर बावत कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। जिस पर आवेदक पूर्वजों के समय से खलियान करता चला आ रहा है। और अपने स्वामित्व के भू–भागों पर सिचांई हेतु नल कूप लगवाया है। जिसकी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा के.सी.सी. भी प्रदान की गई है।

3– यहकि भूमि सर्वे न. 410 पर स्कूल भवन बना है से लगी हुई आवेदक के स्वामित्व के सर्वे न. 409 एवं 430 है सुरक्षा की दृष्टि से जो न. ग्राम से लगे हुये होने के कारण पूर्व से ही बागढ लगा कर चला आ रहा है। शिकायत के आधार पर धारा 248 की कार्यवाही की गई उक्त आदेश एवं

(7)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3133–एक / 15 जिला–अशोकनगर

	सुरेन्द्र सिंह कार्यवाही तथा आदेश कलेक्टर अशोकनगर द्वारा म0प्र0 ासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–03–18	यह निगरानी प्रकरण न्यायालय तहसीलदार तहसील साढोरा जिला अशोकनगर के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 200 / अ–68 / 14–15 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2015 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री एस0एल0 घाकड़ अधिवक्ता उपस्थित एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है। जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से भी निगरानी मेमो में अंकित निगरानी के आधार से संबंधित बिन्दु 2 में उल्लेखित बिन्दु 2 लगायत 7 में अंकित न्यायिक सिद्धांतों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनके अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 3.7.15 निरस्त करने का अनुरोध किया गया । अनावेदक म0प्र0 शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में निगरानी मेमों की प्रति न मिलने का आक्षेप लेते हुए यही कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अदेश बैधानिक एवं उचित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश से किसी भी पक्ष के वर्तमान में हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हो रहे है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जावे एवं निगरानी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के प्रकाश	

—3

में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किय गया अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 3.7.2015 से मात्र आवेदक को अतिक्रमण के संबंध में संहिता की धारा 248 के तहत स्थिति स्पष्ट करने हेतु मात्र कारण बताओ नोटिस दिया गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया जिससे आवेदक के हित वर्तमान में प्रभावित होने की कोई संभावना हो। वहीं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि प्रकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 13.10.15 को पटवारी साक्ष्य हेतु नियत किया गया था। जिससे यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदाय किया जा रहा है जहां वह अपना पक्ष समर्थन कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03.07.2015 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से आक्षेपित आदेश स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्र0दा0रि0 हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)

सदस्य